बिहार सरकार

बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(जिला प्रोग्राम शाखा)

दूरभाष सं० – 06189-222250
email- icdskaimur@gmail.com
email- dm-bhabhua.bih@nic.in


# कैमूर जिला अन्तर्गत आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन से संबंधित विज्ञापन सं0 01/2017–18

सरकार के प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या आई0सी0डी0एस0/40010/02–2012,1159 दिनांक 23.03.2017 द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभाग द्वारा समय समय पर संशोधित नियमों के आलोक में जिला अन्तर्गत बाल विकास परियोजनाओं में पूर्व से स्वीकृत पद की रिक्ति/नव–सृजित अतिरिक्त/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की रिक्ति की सूचना एवं उन रिक्तियों को भरने का कार्यक्रम कैमूर जिले के लिए निर्धारित किया जाता है।

जिले की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में निम्न सारणी के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन हेतु संबंधित वार्ड (पोषक क्षेत्र)के इच्छुक महिला अभ्यर्थी से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। **आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में विहित प्रपत्र में अनुलग्नक सहित दिनांक 12.07.2017 से दिनांक दिनांक 27.07.2017 तक को 5:00 बजे अपराह्न तक स्वीकार किये जायेंगे।** आवेदिकायें पंजीयन संख्या एवं तिथि के साथ परियोजना कार्यालय में प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगी। प्राप्ति रसीद में संबंधित परियोजना कार्यालय की संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अनुलग्नकों के विवरण की प्रविष्टि की जायेगी। आवेदन पत्र का नमूना एवं रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालयों पर चिपका दी गई हैं। परियोजनवार आंगनबाड़ी केन्द्रों की रिक्तियां निम्न प्रकार हैः–

| क्र0 सं0 | परियोजना का नाम | नव स्वीकृत पदों की संख्या | | पूर्व से अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र में रिक्ति की संख्या | | मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में रिक्ति की संख्या | | कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों मे रिक्ति की कुल संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सेविका | सहायिका | सेविका | सहायिका | सेविका | सहायिका | सेविका | सहायिका |
| 1 | भभुआ | 44 | 44 | 11 | 17 | 03 | 00 | 58 | 61 |
| 2 | चैनपुर | 59 | 59 | 05 | 07 | 05 | 00 | 69 | 66 |
| 3 | मोहनिया | 63 | 63 | 07 | 23 | 05 | 00 | 75 | 86 |
| 4 | नुआंव | 0 | 0 | 07 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 5 | कुदरा | 47 | 47 | 13 | 03 | 04 | 00 | 64 | 50 |
| 6 | भगवानपुर | 24 | 24 | 08 | 17 | 02 | 00 | 34 | 41 |
| 7 | अधौरा | 17 | 17 | 02 | 04 | 01 | 00 | 20 | 21 |
| 8 | चांद | 38 | 38 | 04 | 03 | 03 | 00 | 45 | 41 |
| 9 | रामगढ़ | 32 | 32 | 06 | 10 | 02 | 00 | 40 | 42 |
| 10 | रामपुर | 25 | 25 | 15 | 14 | 02 | 00 | 42 | 39 |
| 11 | दुर्गावती | 41 | 41 | 03 | 01 | 03 | 00 | 47 | 44 |
| कुल | | 390 | 390 | 81 | 110 | 30 | 00 | 501 | 502 |

➢ आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं के चयन हेतु आहर्ताएं :–

- शैक्षणिक योग्यता :– आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता **मैट्रिक अथवा समकक्ष** (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो)। **अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए** न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उतीर्ण होगी। सहायिका **के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी** जायेगी।

- आयु सीमा – आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। जिसका मूल प्रमाण–पत्र उनके द्वारा आम सभा में ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का स्थाई निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/ससुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।
- सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000/– या उससे ज्यादा है/जनप्रतिनिधि/संबंधित प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की पत्नी/बहू, सेविका/सहायिका के चयन के लिए अयोग्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दंडित किया गया हो तो उसे भी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद के लिए चयनित नहीं किया जायेगा।
- रिक्ति से संबंधित जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षिका से प्राप्त की जा सकती है।
- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का चयन समेकित बाल विकास सेवाएं अन्तर्गत निदेशालय द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका–2016 एवं समय–समय पर संशोधित निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा।
- आवेदन हाथों हाथ अथवा डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- सेविका/सहायिका चयन के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा चिन्हित तिथि एवं स्थल पर आम सभा चयन समिति के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पंच की अध्यक्षता में सेविका/सहायिका का चयन आम सभा में किया जायेगा। आम सभा में ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मेधा सूची एवं पैनल तैयार कर अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा अंक के प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर चयन पत्र मुहर सहित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर हीं निर्गत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी। प्रत्येक आम सभा के लिए आम सभा की तिथि निर्धारित की गई है, इसकी जानकारी संबधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका से प्राप्त की जा सकती है। परियोजनावार आंगनबाड़ी केन्द्रवार रिक्तियों/संबंधित मार्गदर्शिका इत्यादि की जानकारी dm-bhabhua.bih@nic.in पर प्राप्त की जा सकती है।

ह०/– 11/07/17

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

Seashi dpo-en-04-07-2017

(12)

बिहार–सरकार
समाज कल्याण विभाग

संचिका सं० :– ICDS/40010/02–2012 1159 दिनांक 27/03/2017

प्रेषक,

**श्रीमती वन्दना किनी**, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय :– **आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के चौथे चरण के विस्तारीकरण के तहत 503 ग्रामीण क्षेत्रों के बाल विकास परियोजनाओं में 21366 अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र एवं 1675 मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र (कुल 23041 ऑगनबाड़ी केन्द्रों) की स्थापना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के चौथे चरण के विस्तारीकरण के तहत संलग्न विवरणी के अनुसार 503 ग्रामीण क्षेत्रों के बाल विकास परियोजनाओं में 21366 अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र एवं 1675 मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र (कुल 23041 ऑगनबाड़ी केन्द्रों) की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस पर होने वाले प्रशासनिक व्यय का 60 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना मद से केन्द्रांश के रूप में तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना मद से राज्यांश के रूप में किया जाना है। उक्त सृजित अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र/मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्रों में आई.सी.डी.एस. की 6 सेवाओं यथा पोषाहार, स्वास्थ्य जॉच, प्रतिरक्षीकरण, स्कूलपूर्व शिक्षा, पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भित सेवाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

2. प्रत्येक अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र के लिए एक ऑगनबाड़ी सेविका को 3000 रूपया, एक ऑगनबाड़ी सहायिका 1500 रूपया एवं प्रत्येक मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र के लिए मात्र एक ऑगनबाड़ी सेविका को 2250 रूपया मासिक मानदेय के रूप में केन्द्रांश एंव राज्यांश मद से भुगतेय होगा।

प्रत्येक अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र के लिए ऑगनबाड़ी सेविका को 750 रूपया, ऑगनबाड़ी सहायिका को 375 रूपया एवं मिनी ऑगनबाड़ी सेविका को 565 रूपया राज्य भत्ता के रूप में मासिक भुगतेय होगा।

3. सृजित अतिरिक्त एवं मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र के लिए किराया, मेडिसीन किट्स, स्कूलपूर्व शिक्षा किट्स, आकस्मिकता एवं अनावर्तक मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर लागू रहेगा।

4. नवस्वीकृत, अतिरिक्त एवं मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का संचालन हेतु पूर्व निर्धारित दर लागू रहेगा। जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश मद से वहन किया जायेगा।

5. ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं पोषाहार मद में होने वाले राशि का व्यय माँग संख्या–51 के अधीन समाज कल्याण विभाग के **विपत्र कोड**–स्थापना **केन्द्रांश–P2235021020222/राज्यांश–P2235021020322,** पूरक पोषाहार केन्द्रांश–**P2236021010203/204** राज्यांश–**P2236021010303/304/305** ऑगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना–**P2235021020117/ P2235027890103** के अंतर्गत राज्य योजना–**केन्द्रांश/राज्यांश** मद में विकलनीय होगा।

6. ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक मापदंड के तहत ऑगनबाड़ी केन्द्र के मैपिंग, सेविका/सहायिका के चयन एवं प्रशिक्षण आदि प्रक्रिया वर्तमान वित्तीय वर्ष में समयाभाव के कारण पूरा नहीं होने की संभावना को देखते हुये वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि स्वीकृत नहीं की जा रही है।

7. ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना पंचायत में वार्डवाईज किया जायेगा। वार्ड से अभिप्रेत है पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के परिवारों की जनसंख्या। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र निर्धारण करने में वार्ड को विखंडित नहीं किया जायेगा। अगर निर्धारित वार्ड में जनसंख्या के आधार पर आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम से अनाच्छादित रह जाती है तो अनाच्छादित जनसंख्या को आच्छादित करने के क्रम में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र/मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु निम्नांकित मापदंड निर्धारित है।

| क्र.सं. | गाँव/टोले की जनसंख्या | अति0 आँ0 केन्द्र की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 400–800 | 1 |
| 2 | 800–1600 | 2 |
| 3 | 1600–2400 | 3 |
| 4 | तदोपरान्त प्रत्येक 800 पर | 1 |
| | मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र | |
| 5 | 150–400 | 1 |

8. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गनिदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उक्त परियोजनावार सृजित अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना के तहत ससमय केन्द्रों के मैपिंग, आँगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं का चयन की जिम्मेवारी संबंधित महिला पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की होगी। संबंधित महिला पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मैपिंग के उपरांत यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सृजित अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) बाहुल्यता को ध्यान में रखते हुये भौगोलिक रूप से अलग–अलग टोले में ही किया जाय, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि किसी भी परिस्थिति में भौगोलिक टोले का विखण्डीकरण न हो।

9. **आँगबनाड़ी केन्द्रों का मैपिंग** :–आँगनबाड़ी केन्द्रों का मैपिंग आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक 990 दिनांक 05.04.2016 के कंडिका–2 के आलोक में किया जायेगा।

10 **आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थल निर्धारण** – समेकित बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन मार्गदर्शिका–2006 की कंडिका– (ii) (क) आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक 2150 दिनांक 21.05.2015 द्वारा संशोधित यथा आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का अपना भवन न होने पर गाँव/टोले के अंदर अवस्थित सरकारी विद्यालय में या उसके समीप आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किया जायेगा। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक है। यदि आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में कोई विद्यालय/सामुदायिक भवन/पंचायत भवन उपलब्ध नहीं है तो इसकी सूचना आँगनबाड़ी सेविका द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी जाँच कर आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना निजी भवन में करने संबंधी आदेश संबंधित आँगनबाड़ी सेविका को देगी।

11. यह स्वीकृति संचिका सं0– ICDS/40010/02–2012 के पृष्ठ सं0–97/टि0 पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 07.02.2017 की बैठक में दिये गये अनुमोदन के उपरांत दी जा रही है।

12. संबंधित विभागों/पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है।

13. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

अनु0– नवस्वीकृत 23041 आँगनबाड़ी केन्द्रों की परियोजनावार सूची।

(वन्दना किनी) 23/3/2017
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :– ICDS/40010/02–2012 1159 दिनांक 27/03/2017

**प्रतिलिपि** : अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि** : वित्त विभाग, (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस./समाज कल्याण विभाग, (बजट शाखा)/बजट पदाधिकारी/स्थापना पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी महिला पर्यवेक्षक, आई.सी.डी.एस. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव, 23/3/2017

ज्ञापांक :– ICDS/40010/02–2012 1159 दिनांक 27/03/2017

**प्रतिलिपि** : सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव, 23/3/2017

| # | जिला का नाम | परियोजना का नाम | पूर्व से स्वीकृत ऑगनबाड़ी केन्द्र | | | | नवस्वीकृति अतिरिक्त एवं मिनी ऑ0 केन्द्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत ऑगनवाडी केन्द्र | अतिरिक्त ऑगनवाड़ी केन्द्र | स्वीकृत मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र | कुल स्वीकृत ऑगनवाड़ी केन्द्र (सामान्य / अतिरिक्त / मिनी) | अतिरिक्त ऑ0केन्द्र | मिनी ऑ0केन्द्र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48 | | कोचस | 119 | 8 | 11 | 138 | 39 | 3 |
| 49 | | सुर्यपुरा | 48 | 9 | 10 | 67 | 9 | 1 |
| 50 | | राजपुर | 61 | 6 | 6 | 73 | 16 | 1 |
| 51 | | संझौली | 51 | 11 | 14 | 76 | 5 | 0 |
| 52 | | नौहटटा | 76 | 7 | 2 | 85 | 28 | 2 |
| 53 | | अकोढी गोला | 99 | 4 | 3 | 106 | 42 | 3 |
| 54 | | तिलौथू | 90 | 7 | 5 | 102 | 28 | 2 |
| 55 | | रोहतास | 79 | 4 | 5 | 88 | 24 | 2 |
| | | उप योग | **2230** | **216** | **198** | **2644** | **601** | **47** |
| 56 | कैमूर | भगवानपुर | 66 | 3 | 5 | 74 | 24 | 2 |
| 57 | | अधौरा | 45 | 0 | 0 | 45 | 17 | 1 |
| 58 | | रामगढ़ | 104 | 9 | 2 | 115 | 32 | 2 |
| 59 | | मोहनियां | 175 | 0 | 0 | 175 | 63 | 5 |
| 60 | | दुर्गावती | 111 | 0 | 0 | 111 | 41 | 3 |
| 61 | | कुदरा | 128 | 0 | 0 | 128 | 47 | 4 |
| 62 | | चाद | 101 | 5 | 4 | 110 | 38 | 3 |
| 63 | | भभुआ | 238 | 0 | 0 | 238 | 44 | 3 |
| 64 | | चैनपुर | 145 | 0 | 0 | 145 | 59 | 5 |
| 65 | | रामपुर | 78 | 0 | 0 | 78 | 25 | 2 |
| | | उप योग | **1191** | **17** | **11** | **1219** | **390** | **30** |
| 66 | बक्सर | राजपुर | 167 | 14 | 21 | 202 | 38 | 3 |
| 67 | | बक्सर | 230 | 3 | 7 | 240 | 41 | 3 |
| 68 | | इटाढ़ी | 137 | 3 | 2 | 142 | 52 | 4 |
| 69 | | ब्रह्मपुर | 163 | 0 | 0 | 163 | 67 | 5 |
| 70 | | डुमरॉव | 199 | 25 | 5 | 229 | 4 | 0 |
| 71 | | नावानगर | 138 | 0 | 0 | 138 | 59 | 5 |
| 72 | | सिमरी | 182 | 9 | 11 | 202 | 62 | 5 |
| 73 | | चक्की | 34 | 1 | 4 | 39 | 11 | 1 |
| 74 | | चौगाई–केसठ | 71 | 10 | 4 | 85 | 18 | 1 |
| 75 | | चौसा | 82 | 2 | 5 | 89 | 33 | 3 |
| | | उप योग | **1403** | **67** | **59** | **1529** | **385** | **30** |
| 76 | भोजपुर | बिहियां | 138 | 0 | 0 | 138 | 41 | 3 |
| 77 | | बड़हरा | 194 | 0 | 0 | 194 | 87 | 7 |
| 78 | | चारपोखरी | 87 | 0 | 0 | 87 | 36 | 3 |
| 79 | | तरारी | 148 | 0 | 0 | 148 | 70 | 5 |
| 80 | | उदवन्तनगर | 132 | 0 | 0 | 132 | 61 | 5 |
| 81 | | सहार | 100 | 0 | 0 | 100 | 51 | 4 |
| 82 | | जगदीशपुर | 212 | 0 | 0 | 212 | 46 | 4 |
| 83 | | पीरो | 198 | 0 | 0 | 198 | 70 | 5 |
| 84 | | आरा ग्रामीण | 166 | 12 | 3 | 181 | 62 | 5 |
| 85 | | कोईलवर | 170 | 0 | 0 | 170 | 43 | 3 |
| 86 | | शाहपुर | 186 | 0 | 0 | 186 | 71 | 6 |
| 87 | | संदेश | 116 | 0 | 0 | 116 | 27 | 2 |
| 88 | | गड़हनी | 86 | 0 | 0 | 86 | 36 | 3 |
| 89 | | अगियांव | 122 | 0 | 0 | 122 | 57 | 4 |
| | | उप योग | **2055** | **12** | **3** | **2070** | **758** | **59** |
| 90 | गया | शेरघाटी | 121 | 0 | 0 | 121 | 8 | 1 |
| 91 | | ईमामगंज | 151 | 0 | 0 | 151 | 62 | 5 |
| 92 | | बोधगया | 186 | 7 | 17 | 210 | 15 | 1 |
| 93 | | डुमरिया | 100 | 5 | 17 | 122 | 25 | 2 |
| 94 | | बाराचटटी | 112 | 13 | 3 | 128 | 27 | 2 |
| 95 | | फतेहपुर | 186 | 0 | 0 | 186 | 62 | 5 |

(9)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

संचिका संख्या – ICDS/30010/01-2011- 990 दिनांक : 05/04/2016

प्रेषक,

श्रीमती वन्दना किनी, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

**विषय – समेकित बाल विकास सेवायें अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2016 अधिसूचित करने के संबंध में**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवायें अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु पूर्व में निर्गत की गई मार्गदर्शिका को विलोपित करते हुए नई मार्गदर्शिका, 2016 अधिसूचित की जाती है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

उक्त मार्गदर्शिका निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी, जिसके अनुरूप आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की कारवाई करने की कृपा की जाय।

अनु.–यथोक्त।

विश्वासभाजन
वन्दना किनी 5/4/2016
(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 990 दिनांक – 05/04/2016
प्रतिलिपि– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन्दना किनी
प्रधान सचिव 5/4/2016

ज्ञापांक– 990 दिनांक – 05/04/2016
प्रतिलिपि– आप्त सचिव माननीय मंत्री समाज कल्याण को सूचनार्थ प्रेषित।

वन्दना किनी
प्रधान सचिव 5/4/2016

ज्ञापांक– 990 दिनांक – 05/04/2016
प्रतिलिपि– सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन्दना किनी
प्रधान सचिव

## समेकित बाल विकास सेवायें अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2016

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु पूर्व में निर्गत की गई मार्गदर्शिका को विलोपित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आँगनबाड़ी केन्द्रों के सफल संचालन हेतु नई मार्गदर्शिका निम्न प्रकार से अधिसूचित की जाती है–

1. परिभाषाएँ :– इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में हो अन्यथा अपेक्षित ना हो–

(क) ''आँगनबाड़ी केन्द्र'' से अभिप्रेत है आई.सी.डी.एस. अन्तर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन गाँव/टोलों में स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र।

(ख) ''आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका'' से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका/सहायिका के कार्य हेतु चयनित महिला।

(ग) ''वार्ड सदस्य/पंच'' से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित वार्ड सदस्य/पंच।

(घ) ''वार्ड की आम सभा'' से अभिप्रेत है किसी वार्ड में आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु आहूत बैठक।

(ङ) ''कोरम'' (Quorum) से अभिप्रेत है :–

(i) वार्ड के आम सभा के संदर्भ में मैपिंग पंजी में दर्ज वयस्क महिला एवं पुरुष की संख्या के कम से कम 10% व्यक्तियों की उपस्थिति।

(ii) चयन समिति के संदर्भ में चयन समिति के सदस्यों में से दो सदस्यों की उपस्थिति लेकिन सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(च) ''बाहुल्य वर्ग'' से अभिप्रेत है आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु.जनजाति, अनु.जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित), पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) तथा सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)।

(छ) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है किसी वार्ड में आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति जिसमें संबंधित वार्ड सदस्य (अध्यक्ष), वार्ड पंच (उपाध्यक्ष) एवं संबंधित महिला पर्यवेक्षिका (सदस्य सचिव) शामिल है।

(ज) ''पोषक क्षेत्र'' से अभिप्रेत है किसी आंगनवाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र और इसमें मैपिंग पंजी में शामिल परिवारों का ही घर होगा।

(झ) ''मैपिंग'' से अभिप्रेत है पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचनाओं का सृजन एवं संधारण।

2. <u>मैपिंग</u>– किसी आँगनबाड़ी केन्द्र की मैपिंग संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में निम्न वर्णित प्रपत्र में घर–घर जाकर सूचनाओं का सृजन किया जायेगा। मैपिंग के क्रम में किसी भी परिस्थिति में वार्ड की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना है।

मैपिंग प्रपत्र [illegible]

| क्र. सं. | आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम | संबद्ध [illegible] वार्ड सदस्य | परिवार के मुखिया का नाम | [illegible] | [illegible] मतदाता सूची पृष्ठ संख्या | [illegible] मतदाता सूची क्रम सं. | आरक्षण कोटि [illegible] (जाति का नाम सहित) | संबंधित परिवार के सदस्यों की संख्या | | | | | | | | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | सदस्यों की संख्या | | 11-18 वर्ष के किशोरी की संख्या | | 0-3 वर्ष के बच्चों की संख्या | | 3-6 वर्ष के बच्चों की संख्या | | |
| | | | | | | | | पु | स्त्री | पु | स्त्री | बालक | बालिका | बालक | बालिका | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर  महिला पर्यवेक्षिका का नाम एवं हस्ताक्षर

मैपिंग पंजी को अंतिम रूप देने के पूर्व महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा इसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय/वार्ड/पंचायत कार्यालय/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एक सप्ताह तक प्रकाशित किया जायेगा एवं आपत्तियों का निराकरण एक सप्ताह में करने के पश्चात् उसे अंतिम रूप दिया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। मैपिंग पंजी में किसी परिवार के छूट जाने पर महिला पर्यवेक्षिका को जिम्मेवार माना जायेगा जिसके लिए उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

3. <u>सेविका/सहायिका के लिए उम्र</u>– ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी जिसका मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सभा में ही उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित ऑगनबाड़ी सेविका अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगी जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जायेगी।

4. <u>शैक्षणिक योग्यता</u>– ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी।

5. <u>मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता</u>– ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।

6. <u>अयोग्यता</u>– सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000/– (बारह हजार) रू. या उससे ज्यादा है/जन प्रतिनिधि/संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता की पत्नी/बहू सेविका/सहायिका के चयन के लिए अयोग्य होगीं। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दण्डित किया गया हो तो उसे भी ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद के लिए चयनित नहीं किया जायेगा।

7. आंगनबाड़ी सहायिका के लिए अर्हता— [illegible] [illegible] प्राथमिकता दी जायगी, बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति–अनु0 जन जाति / अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) / पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) / सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के विधवा उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। इसमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेधा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायगा। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अन्य अर्हताऐं आंगनवाड़ी सेविका के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप होगी।

8. <u>आवेदन पत्रों की प्राप्ति</u>— आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराया जायेगा जिसमें आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा। आँगनवाड़ी सेविका / सहायिका के चयन की अर्हताओं एवं वार्ड की आम सभा के स्थान / तिथि / समय का इसमें उल्लेख रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएगें जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है (परिशिष्ट–1)।

साथ ही यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह के उसीदिन तिथि (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) व समय को वार्ड की आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

9. <u>कोरम (Quorum)</u> महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका / सहायिका के चयन हेतु बुलाई गई आमसभा की पंजी तैयार की जायेगी जिसमें मैपिंक पंजी के कम–से–कम 10 प्रतिशत वयस्कों की उपस्थिति से कोरम निर्धारित होगा।

10. <u>आम सभा</u>— आंगनवाड़ी सेविका / सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आमसभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता मे आम सभा की जायगी। आम सभा में ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मेधा सूची एवं पैनल तैयार कर एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर नियुक्ति पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी। मेधा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा को मेधा अंक का प्रतिशत में पांच (5) अंक जोड़ कर मेधा अंक की गणना की जायेगी। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक

[illegible] किया जायेगा। आम सभा की बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एक प्रति संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में संधारित किया जायेगा।

11. <u>प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जाँच</u>–मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के प्रमाण पत्रों की जांच तत्पश्चात 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसके पश्चात ही ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय का भुगतान होगा। यदि जांच के दौरान उनके मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाए गए तो उन्हें चयनमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगी।

12. <u>चयन संबंधी शिकायत पत्र का निष्पादन</u>– महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा चयनित ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के संबंध में कोई भी शिकायत की सूचना प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा जाँच की जायेगी तथा साक्ष्यों के आधार पर अपना जाँच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसके संबंध में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन दोनों पक्षों की सुनवाई कर सुस्पष्ट एवं मुखर आदेश साक्ष्य सहित पारित करेंगे जिसमें कोई भी गलती पाये जाने पर संबंधितों को इसके लिए जिम्मेवार माना जायेगा।

13. <u>अपील</u> – जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।

14. <u>त्याग–पत्र</u>– ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना पर अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे सकती है जिसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा प्राप्ति तिथि के एक सप्ताह के बाद प्रभावी माना जायेगा। इसके अतिरिक्त त्यागपत्र देने वाली ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

4/4/2016

(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

(4

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवायें निदेशालय

# आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

(आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका–2016)

[illegible]

सेवा में,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

..................................................

..................................................

*[ ध्यातव्य: उपयुक्त रिक्त आयतों को नीले / काले बॉल प्वाइंट पेन से भरें ]*

01 (i) नाम (हिन्दी में) [ ]

(ii) पति का नाम [ ]

(iii) पति का व्यवसाय कृषि [ ] व्यवसाय [ ] नौकरी [ ] अन्य [ ]

(iii) श्वसुर का नाम [ ]

(iv) श्वसुर का व्यवसाय कृषि [ ] व्यवसाय [ ] नौकरी [ ] अन्य [ ]

(v) जन्मतिथि (अंकों में) दिन [ ] महीना [ ] वर्ष [ ]

(vii) रिक्ति के प्रकाशन की तिथि ...................... को उम्र वर्ष [ ]

(viii) दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित) [ ] मोबाइल संख्या [ ]

02 (i) मतदाता सूची में परिवार के मुखिया (पति / श्वसुर) का नाम / क्रमांक– [ ]

(ii) मतदाता सूची मे आवेदिका का क्रमांक– [ ]

03 स्थायी पता [ ]

पिनकोड [ ]

जिला [ ] राज्य [ ]

04 शैक्षणिक योग्यता :

| उत्तीर्ण परीक्षा | बोर्ड | संस्थान / विद्यालय | उत्तीर्ण होने का वर्ष | उत्तीर्ण होने की श्रेणी | प्राप्तांक पूर्णांक (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैट्रिक | | | | | | |

05 (i) क्या आप भारत के नागरिक हैं? [ ] 1 –हाँ 2 –नहीं

(ii) क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं? [ ] 1–हाँ 2– नहीं

(iii) क्या आप किस आरक्षित वर्ग से है? [ ] 1 –हाँ 2 –नहीं

(iv) यदि हाँ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड रिक्त आयत में भरें? [ ]

02 – अ0जा0
03 – अ0ज0जा0
04 – अ0पि0व0
05 – पि0व0

(4)

(3)

06 [illegible]

07 [illegible]

08 क्या आपको किसी कार्यालय से दंडित किया गया है अथवा नहीं ? 1. हाँ 2. नहीं

09 उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह :

10 महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य का अनुभव (यदि कोई हो तो) ..............................................................................................................

..............................................................................................................

नोट :– आवेदन के साथ जमा किए गए प्रमाण पत्रों की प्रति (संबंधित पर सही का निशान लगाएं)

मैट्रिक / अष्टम का प्रमाण पत्र ☐ मैट्रिक / अष्टम का अंक पत्र ☐ आवासीय प्रमाण पत्र ☐

जाति प्रमाण पत्र ☐ विधवा प्रमाण पत्र ☐

## घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सूचनाएँ सत्य एवं सही है। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक / दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान : .............................. आवेदिका का

दिनांक : .............................. हस्ताक्षर : हिन्दी में

टिप्पणी – आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों / कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें। मूल प्रति वार्ड की आम सभा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

..............................................................................................................

## (प्राप्ति रसीद)

श्रीमती .............................................. पति का नाम– .............................................. ग्रा. ..............................

पंचायत अन्तर्गत ..............................आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका / सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में उल्लिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .............................. है।

दिनांक–

स्थान–

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर,

पूरा नाम एवं पदनाम